

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-प.(वि)प्रशा0/आकाशि/एम0यू0/2019/3993

दिनांक-18.06.19

परिपत्र

विषय-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 की अनुपालना के क्रम में।

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार के अर्द्धसासकीय पत्र एफ-18(4)(5) डीउस्यूई/Sexual Harassment/19/14835 दिनांक 27 मई 2019 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विषयान्तर्गत संलग्न अधिनियम की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें-

1. अधिनियम के अध्याय 2 पर उल्लेखित दिशा-निर्देशों के तहत आंतरिक परिवार समिति का गठन लिखित आदेशों के द्वारा करें।
2. समस्त राजकीय महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारी अनिवार्यतः कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी।
3. पूर्व विभागीय परिपत्रांक 3622 दिनांक 20.06.2019 की अनुपालना में आंतरिक परिवार समिति के नाम व मोबाईल नम्बर महाविद्यालय परिसर में सूचना पट्ट पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों, कर्मिकों व आमजन की सूचनार्थ बड़े बोर्ड पर डिस्पले कराया जाये।
4. इस समिति की सूचना एवं विवरण महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी अपलोड करें।
5. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हुये आदेशांक 511 दिनांक 26.12.2018 की अनुपालना में (विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं समस्त कार्यालय स्टाफ की जानकारी हेतु) जागरूकता कार्यशाला की अनुपालना पूर्ण कर ली जाये।
6. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की ऑन-लाईन शिकायतों हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित [www.shebox.nic.in](http://www.shebox.nic.in) की जानकारी अधिकाधिक संप्रेषित करायी जावे।
7. जिला कलेक्टर को वार्षिक रिपोर्ट संलग्न प्रति के प्रपत्र पृष्ठ 07 में (आंतरिक परिवार समिति (ICC) द्वारा प्रस्तुत होगी।
8. अत्यावश्यक रूप से महाविद्यालयी आंतरिक परिवार समिति (ICC) की वांछित सूचनाएं (मय गठन आदेश की प्रति) संलग्न पृष्ठ 6 के प्रपत्र में [cmhelplinecolledu@gmail.com](mailto:cmhelplinecolledu@gmail.com) पर दिनांक 20 जून 2019 तक ई-मेल करावें।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

7 ✓  
(प्रदीप कुमार-बोरडे) SAE  
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

दिनांक-18.06.19.

क्रमांक-प.(वि)प्रशा0/आकाशि/सम्पर्क/2019/3993

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, (आयोजना/रूसा/आरवीआरईएस/अकादमी/एफआरडी/निजी संस्थाएं/प्रशासन/आईटी), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3- समस्त प्राचार्यगण, राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स/राजस्थान संगीत संस्थान, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/कोटा/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
- 5- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
- 6- आरक्षी पत्रावली।

18/6  
(डॉ० दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और  
लैंगिक उत्पीड़न के परिणामों के निवारण तथा  
प्रतितोषण और उसके संबंधित या उसके  
अनुसंधान विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और बर्तिया से जीवन स्वतंत्र करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी व्यक्ति का व्यवसाय करने या कोई उपार्जनिक, व्यापार या कारखाना करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा बर्तिया से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभियोग जैसे अंतरराष्ट्रीय अभियोगों और निबंधों द्वारा सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त ऐसे मान्य अधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 नवंबर, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उचित अभियोग को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना सही नीति है;

भारत गणराज्य के अंतर्गत वर्तमान संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## अवकाश 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और शारंग—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संघीय राज्य पर है।

(3) यह उक्त शारीक को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य में अधिसूचना द्वारा, निवृत्त करे।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपेक्षित महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अधिकार करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ख) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं, केन्द्रीय सरकार;

(ब) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं, केन्द्रीय सरकार;

(ii) उपबंध (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संघ में, राज्य सरकार;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिषद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "नित्य अधिकारी" से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "बरेलू कर्मकार" से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिवारिक के लिए गृहस्थी का क करने के लिए, चाहे नकद या वस्तुस्वरूप में, या जो सीधे या किसी अधिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंतरास्थितिक पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के गृह का कोई सदस्य नहीं है;

(च) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अधिकार के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई उद्देश्य भी है, प्रधान नियोजन की जानकारी से या उसके विना, विधायि अस्थायी, सर्व या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिवारिक पर या उसके विना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अधिष्पत्य या विनियम है या नहीं और इसके अंतर्गत को सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिधीयस्थी, शिक्ष, प्रशिक्ष या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम संस्था, कार्यालय, शाखा या युनिट के संबंध में, उक्त विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय शाखा या युनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इन विभिन्न श्रेणियों द्वारा नियोजित किया गया;

(ii) उपबंध (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और निबंधन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्वामीकरण—इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनियमिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

(iii) उपबंध (i) और उपबंध (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में नवविद्यमान माध्यमों का निर्बहण करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या बरेलू कर्मकार द्वारा नियोजित, कार्यकारी का विचार किए बिना, बरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(ग) "आंतरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिषद समिति अभिप्रेत है;

(घ) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिषद समिति अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "रीटवरील अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिषद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "शपथ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिखित शपथपत्र महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिषद किया है;

(ञ) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निवृत्त रूप से हैं, अर्थात्—

- (i) शारीक संपर्क और अशुभचलन; या
- (ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुपेक्षा करना; या
- (iii) लैंगिक अनुपेक्षा/टिप्पणियाँ करना; या
- (iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या
- (v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शैक्षिक या अश्लील आधार पर करना;

(घ) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(1) ऐसा कोई विद्यालय, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यलय, शाखा या युनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या मजदूरी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या आंशिक, उनके द्वारा संचालित या अंशतः संचालित कराई गई विधियों द्वारा नियंत्रित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्याय, गैर-सरकारी संगठन, युनिट या सेवा प्रदाता, जो बाणिज्यिक, कृषिक, स्वास्थ्याधिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या विधीय विद्यालयों करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, जेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई जेलकूद संस्थान, स्टेडियम, जेलकूद प्रवेश या प्रतिस्पर्धा या क्रीडा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;

(v) नियोजन से उत्पन्न या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदक्षित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी याता करती के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(8) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यक्तियों या स्वयंसेवक कर्मचारियों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के मास के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मचारियों को नियोजित करता है, जहां ऐसे कर्मचारियों की संख्या दस से अधिक है।

3. सैनिक उत्पीड़न का निवारण—(1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर सैनिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे सैनिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उनसे संबद्ध हैं, सैनिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकती हैं:—

(i) उसके नियोजन में अधिमात्री व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट बचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहिंसक व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भविष्यीय नियोजन की प्राप्ति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके स्वयं में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अधिवाससमय या संतानकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

अध्याय 2

आंतरिक परिवार समिति का गठन

4. आंतरिक परिवार समिति का गठन—(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, निश्चित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवार समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा:

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक युनिट, विभिन्न-विभिन्न स्थानों या बंड या उपबंड स्तर पर अवस्थित हैं, जहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक युनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी:

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक युनिटों से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक युनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उक्त नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अधिक ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमात्री रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या वे कोई व्यक्ति, जो सैनिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है:

परंतु इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए पर धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा निरदिष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी कीसे या मंचे, जो विहित किए जाएं, संबंधित किए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धोद्योग ठहराया गया है या उसके विरुद्ध वस्तुय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कि अपराध की कोई जांच संविद है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही संविद है; या

(घ) अपनी ईश्वरता का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना सौक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

जहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन-आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भर जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवार समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिनियमों का प्रयोग करने या कृत्यों को निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थानों से जहां दस से कम कर्मचारियों के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, जहां सैनिक उत्पीड़न के परिवार ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवार समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, टाकतुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवार ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोटिस अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(3) स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवायुक्ति और अन्य निर्बंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवार समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, टाकतुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो सैनिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

परंतु कम से कम एक नामनिर्दिष्टि के पास, अधिमात्री रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए;

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्दिष्टि, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और शाल विकास से संबंधित संघट्ट अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहाँ स्थानीय परिषद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषनिष्ठ उद्घोषा गया है या उसके विरुद्ध तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच संश्लिष्ट है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही संश्लिष्ट है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिफल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहाँ, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सूचित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इन धारा के उपबंधों के अनुसार मप नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीसों या पदों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।

8. अनुदान और संपत्तियां—(1) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के परन्तु राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट चीजों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी अवस्थितियों के, जो केंद्रीय सरकार जीक समझे, अनुदान दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिसे अधिकारी को ऐसी उधियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या पदों के संदाय के लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगी।

अध्याय 4

परिषद

9. वार्षिक उत्पीड़न का परिषद—(1) कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर वार्षिक उत्पीड़न का परिषद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार पठित की गई है या यदि इस प्रकार पठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी:

परन्तु जहाँ ऐसा परिषद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिषद करने के लिए सभी बुक्तिपुक्त प्रस्ताव प्रदान करेगा:

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समझान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उस अवधि के भीतर परिषद प्राप्त करने से निवारित किया था।

(2) जहाँ व्यक्ति महिला, अपनी धार्मिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिषद करने में असमर्थ है वहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिषद कर सकेगा।

10. सुनह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यक्ति महिला के अनुपस्थित पर, सुनह के वाक्यन से उसके और प्रत्यक्षों के बीच मानस को निपटाने के उपाय कर सकेगी:

परन्तु कोई स्थानीय समझौता, सुनह के आचार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अनिश्चित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्यवाही, जो सिफारिस में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अनिश्चित किए गए समझौते को प्रति व्यक्ति महिला और प्रत्यक्षों को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो जाता है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस की और जांच नहीं की जाएगी।

11. परिषद की जांच—(1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, ज प्रत्यक्षों कोई कर्मचारी है, वहाँ प्रत्यक्षों को सांगू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहाँ ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं हैं, व ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिषद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी संश्लिष्ट कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति यदि प्रथमवृत्त्या माफका विद्यमान है, जो भारतीय बंद संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहाँ लागू हो, वहाँ उक्त संहिता किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन माफका रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिषद भेजेगी:

परन्तु जहाँ व्यक्ति महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निश्चयन या कार्य को प्रत्यक्षों द्वारा अनुमान नहीं किया गया है, वहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिषद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिषद भेजेगी:

परन्तु यह और कि जहाँ दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहाँ पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिए जाएंगे, और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष लिखकों के विरुद्ध अप्पावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय बंद संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, जब प्रत्यक्षों को अपराध के सिद्धोप उद्घोषा जाता है, उस धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखके हुए, प्रत्यक्षों द्वारा व्यक्ति महिला को ऐसी राशि के संदाय का जो यह सूचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को कई शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी याद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5 के अधीन किसी सिविल प्रक्रियासूत्र में निहित हैं, अर्थात्—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हजरत कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिषद की जांच

12. जांच संश्लिष्ट रहने के दौरान कार्यवाही—(1) जांच संश्लिष्ट रहने के दौरान, व्यक्ति महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिस कर सकेगी,—

- (क) व्यक्ति महिला या प्रत्यक्षों का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या
- (ख) व्यक्ति महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या
- (ग) व्यक्ति महिला को ऐसी अन्य टाइट, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यक्ति महिला को अनुदान छुट्टी ऐसी छुट्टी के अधिस्थित होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिस पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिसों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयनकी रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिसे अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यक्षों के विरुद्ध अभिकरण साबित नहीं किया गया है वहाँ, यह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिस करेगी कि मामले में किसी कार्यवाही का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्था के विरुद्ध अभिकथन माहित हो गया है, वहाँ, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

- (i) प्रत्यर्था को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहाँ, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सैनिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने;
- (ii) प्रत्यर्था को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्था के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक कारियों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार बहु अवधारित करे;

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्था के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्था को, व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निर्देश दे सकेगा।

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्था, बंध (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को सूचना देकर उसके रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अत्रिपित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवार और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्था के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवार को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटचिंत या धमक दस्तावेज देना किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिनसे, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवार किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

परंतु किसी परिवार को सिद्ध करने या परोक्ष सूत्र उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवारी के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी।

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवारी को और से द्वेषपूर्ण आसन सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटचिंत या धमक दस्तावेज दिया है, वहाँ वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

15. प्रतिकार का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के बंध (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

- (क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, शतना और भावात्मक कष्ट;
- (ख) सैनिक उत्पीड़न की घटना के कारण क्षति के अवसर की हानि;
- (ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनसिबकिसीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;
- (घ) प्रत्यर्था की आन और विरोधी हस्तियत;
- (ङ) एकमुद्रत या किस्तों में ऐसे संदाय की साक्ष्यता।

16. परिवार की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिबन्ध—यूनायत का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवार की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्था और साक्षियों की पहचान और पते, सूत्र और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेष और प्रेषित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

परंतु इस अधिनियम के अधीन सैनिक उत्पीड़न की किसी रीति की सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकटित करने वाली किन्हीं अन्य विधिस्थितियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. परिवार की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए सक्ति—जहाँ कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवार, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संर्धान करने या

उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य तोपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहाँ वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियम के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, शक्ति के लिए दानी होगा।

18. अपील—(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के बंध (i) या बंध (ii) या धारा 14 उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यन्वित न किए जाने से व्यथित के व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ उक्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नव्वे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

**अध्याय 6  
नियोजक के कर्तव्य**

19. नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक,—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) सैनिक उत्पीड़न के शक्ति परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुझाई बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यवाहाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवार पर कार्यवाही करने और जांच का संवाहन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्था और साक्षियों की हानिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवार को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उक्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवार फाइल करना, चवन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें सैनिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी बाधा करती है, जहाँ अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उक्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) सैनिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

**अध्याय 7  
जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां**

20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां—जिला अधिकारी,—

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो सैनिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सुचित करने के लिए गैर-सरकारी संघर्षों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

**अध्याय 8  
प्रकीर्ण**

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक वर्ष से, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्तके नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2) विना अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी।

22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में मानकारी का सम्मिलित किया जाना—नियोजक, अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हों, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निष्पत्ती की संख्या की सम्मिलित किया जा जहाँ ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, वहाँ ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हों, विना अधिकारी की सुविधा करता।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और अंकन रखा जाना—समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करणी और कार्यन्वयन पर तैयिक उत्पीडन के फाइल किए गए और निष्पत्ती गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित अंकन रकेगी।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना—समुचित सरकार, विधीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए :—

(क) कार्यन्वयन पर महिसाओं के तैयिक उत्पीडन से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुव्यवस्था सूचना, शिक्षा, संसुचना और प्रशिक्षण साधनियों विकसित कर सकेगी और जाणकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिषद समिति के सदस्यों के लिए अनिमित्वा और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।

25. सूचना मांगने और वसिनेओं का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यन्वयन पर महिसा कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, सिचित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या विना अधिकारी के तैयिक उत्पीडन के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को तैयिक उत्पीडन के संबंध में वसिनेओं और कार्यन्वयन का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी शक्ति के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और विना अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, वसिनेओं और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित हों।

26. अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शक्ति—(1) जहाँ कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को सुकोचित करेगा,

तहाँ यह, ऐसे मामलों में, जो पचास हजार रुपए तक का हों सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धोक्त उल्लंघन करने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धोक्त उल्लंघन जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धोक्त उल्लंघन करने पर अधिकतम दंड से दुगुने दंड का दानी होगा;

परंतु यदि उल्लंघन प्रकृत किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अधियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उल्लंघन दंड विहित है तो न्यायालय दंड दैते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, बचावस्थिति, उसकी अनुसंधि के रह किए जाने या रोकितिकरण को समाप्त किए जाने या नदीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रोकण के लिए दानी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, स्थित महिसा या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस विहित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के विषय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अपराध होगा।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अन्वीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध, उल्लंघन प्रकृत किसी अन्य वि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अन्वीकरण में।

29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने लिए नियम, उपपत्र में अधिनियम द्वारा, बना सकेगी।

(2) विधिपद्धता और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या कि नियमों के संबंध में उपलब्ध कर सके, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदष्ट की जाने वाली फीस या प्रसे;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के संद (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदष्ट की जाने वाली फीस या प्रसे;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के संद (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के संद (ग) के अधीन विचारण की जाने वाली राहण;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के संद (1) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;

(ठ) धारा 19 के संद (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशाखाएं, जाणकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अधिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रकृत और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उस तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अन्ततः के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो उपपश्चात् यह ऐसे परिबर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उन अवधान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उल्लंघनार्थ वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिबर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधियाम्बता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहाँ राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष या जहाँ ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

30. कठिनायों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राज्यपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013**

The details of all the Internal Committees constituted in your Department in the following format:

Information about Internal Committees in Regards to Sexual Harassment at Workplace Act, 2013									
S. No.	Name of Department /Office/ Organization	Total Employees	No. and date of relevant orders issued	No. of Members in the Committee	No. of Women Members	Whether Chairperson is a Woman <small>GIVE NAME.</small>	Whether NGO Representative included <small>GIVE NAME</small>	Nodal Officer Name and No.	Other information
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

Pl. attach the order copy of Internal Committees.

Signed and Stamped:

\_\_\_\_\_  
Name (Chairperson, Internal Committee).

Name of Workplace:

Date, Place:

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की वार्षिक रिपोर्ट: (वर्ष \_\_\_\_\_ )

क्र. सं.	ज़िला	कार्यस्थल का नाम और पता	लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका निस्तारण किया गया	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित हैं	लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता/ प्रतिष्ठान/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप

हस्ताक्षर:

नाम (अध्यक्ष, आन्तरिक शिकायत समिति) -  
कार्यस्थल का नाम -

दिनांक :

**Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013**

Annual Report of Internal Committees constituted under the Act (Year \_\_\_\_\_)

S.N.	District	Name and Address of Workplace	No. of complaints of sexual harassment received	No. of complaints disposed	No. of cases pending for more than 90 days	No. of workshops/awareness programmes organized	Nature of action taken by the employer/DO

Signed and Stamped:

*Handwritten signature*

\_\_\_\_\_  
Name (Chairperson, Internal Committee):

Name of Workplace:

Date: Place: